

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग


क्रमांक प.1(5) वित्त/राजस्व/2017

जयपुर, दिनांक-13.07.2017

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उक्त सेवा की चयन सेवा संवर्ग में स्थाई रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि/पद उपलब्धता की तिथि से वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम, 28 ए के उप नियम (7) के अन्तर्गत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के सुपर टाईम संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद रिक्ति/ उपलब्धता की तिथि
1	श्रीमती आरती बागोटिया (अजा)	01.04.2017
2	श्री बिहारी लाल (अजा)	01.04.2017
3	श्री ललित वर्मा (अजजा)	01.04.2017
4	श्रीमती मीना सोनगरा (अजा)	01.04.2017
5	श्री महेन्द्र मोहन (अजा)	01.04.2017
6	श्री भवानी सिंह मीणा (अजजा)	01.04.2017
7	श्री प्रदीप माथुर	01.04.2017
8	श्री अरविन्द दीवान	01.04.2017
9	श्रीमती प्रीति शर्मा	01.04.2017
10	श्री संजय धवन	01.04.2017
11	श्रीमती जिज्ञासा गौड़	01.04.2017
12	श्री रामगोपाल पारीक	01.04.2017
13	श्री तुलछा राम चौधरी	01.04.2017
14	श्री प्रताप सिंह पूनिया	01.04.2017
15	श्रीमती नीति धीमन	01.04.2017
16	श्री मोहन लाल आचार्य	01.04.2017
17	श्री सांवरमल	01.04.2017
18	श्री रमेश सांखला	01.04.2017
19	श्री सैयद जैनुद्दीन शाहिद	01.04.2017
20	श्रीमती शिल्पी कौशिक	01.04.2017
21	सुश्री दर्शना गुप्ता	01.04.2017
22	श्रीमती ज्योति भारद्वाज	01.04.2017
23	श्रीमती वीना गुप्ता	01.04.2017
24	श्रीमती अंजु गोयल	01.04.2017
25	श्री मनोज कुमार शर्मा	01.04.2017
26	श्री देवेन्द्र अरोड़ा	01.04.2017
27	श्री मनोज कुमार शाह	01.04.2017
28	श्री कृष्ण चन्द्र कुमावत	01.04.2017
29	श्री सुरेश चन्द्र	01.04.2017



30	श्री शैलेन्द्र कुमार परिहार	18.04.2017
31	श्री सुनील सोनी	01.05.2017

पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se seniority) यथावत रहेगी।

उपर्युक्त अधिकारीगण पदोन्नति के उपरान्त अपने वर्तमान पद को अस्थायी रूप से यथा आवश्यकता कमोन्नत मानते हुये कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रवीण गुप्ता)

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष।
12. संबंधित अधिकारी।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।


13/7/17
संयुक्त शासन सचिव